

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुझुनू

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-140/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2015/00150

1. बलबीरसिंह } पुत्रान स्व. रामजीलाल जाति अहीर निवासी कलगांव, तहसील बुहाना
2. विरेन्द्र सिंह } जिला झुझुनू राज.

- 2/1 रामप्यारी पत्नी विरेन्द्रसिंह
- 2/2 अमन यादव पुत्र विरेन्द्र सिंह
- 2/3 दीपक यादव पुत्र विरेन्द्र सिंह
- 2/4 संध्या यादव पुत्री विरेन्द्र सिंह
- 2/5 पारूल पुत्री विरेन्द्र सिंह

.....वादीगण

बनाम

1. जगमाल पुत्र मूंगाराम
2. प्रभूदयाल पुत्र मूंगाराम
3. सूणाराम
4. रोहिताश } पुत्रान खींवाराम
5. बीरबलसिंह }
6. सुबेसिंह }
7. राजेश कुमार पुत्र सम्पतराम राज.
8. कलावती पत्नी सम्पतराम
9. प्रतीक पुत्र दयानन्द
10. शारदा पत्नी दयानन्द
11. सागरमल पुत्र जयराम
12. महावीर प्रसाद पुत्र जयराम
13. बजरंगलाल पुत्र जयराम
14. फुलादेवी पत्नी भगवानाराम
15. सुभाष पुत्र भगवानाराम
16. लालचन्द पुत्र भगवानाराम
17. सूमेरसिंह पुत्र भगवानाराम
18. बिमला पुत्र भगवानाराम पत्नी जयराम
19. कृष्णा पुत्री भगवानाराम पत्नी फुलाराम
20. कविता पुत्री भगवानाराम पत्नी मुकेश जाति अहीर निवासी सातड़ीया तह. बुहाना, झुझुनू
21. मूलाराम } पुत्रान गुगनराम
22. बीरबल }
23. कमला पुत्री छाजुराम पत्नी जसवन्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तह. बुहाना, झुझुनू
24. दाताराम पुत्र छाजुराम जाति अहीर निवासी कलगांव, तह. बुहाना, झुझुनू राज.
25. संदीप पुत्र अशोक कुमार
26. रविकुमार पुत्र अशोक कुमार

जाति अहीर निवासी कलगांव, तहसील बुहाना, झुझुनू

जाति अहीर नि. नयानगर, तह. खेतड़ी, झुझुनू

जाति अहीर निवासी सातड़ीया तह. बुहाना, झुझुनू



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुझुनू (राज.)

27. बिमला पत्नी अशोक कुमार
 28. कुरझाराम पुत्र तुलसाराम
 29. रामचन्द्र पुत्र तुतसाराम
 30. चन्दगीराम पुत्र झाबरमल
 31. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र झाबरमल
 32. मातादीन पुत्र झाबरमल
 33. हरलाल सिंह
 34. भंवरसिंह
 35. कमलसिंह
- } पुत्र श्योकरण
36. जयचंद पुत्र बालुराम
 37. राजाबाई पत्नी बालुराम
 38. ताराचंद पुत्र जयनारायण
 39. अमीलाल पुत्र बनवारीलाल
 40. धर्मपाल पुत्र बनवारीलाल
 41. महिपाल पुत्र बनवारीलाल
 42. सवित्री पत्नी जयसिंह
 43. कृष्ण कुमार पुत्र जयसिंह
 44. जयपाल पुत्र जयसिंह
 45. सुभाष पुत्र बीरबल
 46. राजू पुत्र बीरबल
 47. धीरसिंह पुत्र बीरबल
 48. रायकोर पत्नी बीरबल
 49. शंकर पुत्र भुरा
 50. रामचन्द्र पुत्र भुरा
 51. शांतिदेवी पत्नी बुजाराम
 52. सत्यवीर पुत्र बुजाराम
 53. सुमेर पुत्र बुजाराम
 54. राजेन्द्र पुत्र बुजाराम
 55. निर्मला पुत्री बुजाराम पत्नी रामकुमार जाति अहीर निवासी सांतोर, तह. बुहाना, झुन्झुनू
 56. अमरसिंह पुत्र सरदाराराम
 57. देवेन्द्र पुत्र रामूमल
 58. महेन्द्र पुत्र रामूमल
 59. कृष्ण कुमार पुत्र रामूमल
 60. महिपाल पुत्र रामूमल
 61. मूर्तिदेवी पत्नी स्व. रामूमल
 62. हरीसिंह पुत्र मनीराम
 63. जसवन्त पुत्र मनीराम
 64. गिन्दोदेवी पुत्री मनीराम पत्नी बलबीर जाति अहीर निवासी हाल आबाद पुहानियों तह. बुहाना, झुन्झुनू राज.
 65. भगवती पुत्री मनीराम जाति अहीर पत्नी शादीराम जाति अहीर निवासी मानपुरा तह. बुहाना, झुन्झुनू राज.
 66. सरस्वती पत्नी जस्सुराम जाति अहीर निवासी बिलवा, तह. खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
 67. सुलतान पुत्र गोरधन



M

(सुनील कुमार घौसान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

68. अमीलाल पुत्र गोरधन
69. राजरूप पुत्र मातादीन
70. संजु पुत्र मातादीन
71. नरेश पुत्र मातादीन
72. भाती देवी पत्नी मातादीन
73. हरचन्द्रराम पुत्र हरदयाल
74. रामसिंह पुत्र हरदयाल
75. महावीर पुत्र हरदयाल
76. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम
77. रामचन्द्र पुत्र सुरजाराम
78. नन्दलाल पुत्र हनुमान
79. उदमी पुत्र हनुमान
80. अशोक पुत्र घीसाराम
81. संतोष पत्नी घीसाराम
82. पूर्ण पुत्र हनुमान
83. अजय पुत्र हरीराम
84. विक्रम पुत्र हरीराम
85. माडूराम पुत्र रणधीर
86. यादराम पुत्र जवानाराम
87. ताराचन्द पुत्र जवानाराम
88. बलबीर पुत्र जवानाराम
89. बुद्धा पुत्र रूड़ा (फौत)
90. फुलाराम पुत्र मूंगाराम
91. ताराचन्द पुत्र मूंगाराम
92. कैलाश पुत्र भानसिंह
93. भाती पत्नी भानसिंह
94. बालाराम पुत्र मूंगाराम
95. रामावतार पुत्र श्योदत्त
96. महावीर पुत्र श्योदत्त
97. सुबेसिंह पुत्र श्योदत्त
98. कृष्ण कुमार पुत्र श्योदत्त
99. श्रवणी देवी पत्नी श्योदत्त
100. अमरचन्द पुत्र दीपाराम
101. जवाहरलाल पुत्र दीपाराम
102. बाबुलाल पुत्र दीपाराम
103. सुरेन्द्र पुत्र बिरजुराम
104. माडूराम पुत्र बिरजुराम
105. मोहरली पत्नी बिरजुराम
106. दुलीचन्द पुत्र जीवनराम
107. घोघड़ पुत्र जीवनराम
108. ताराचन्द पुत्र छाजुराम
109. सुरेन्द्र कुमार पुत्र छाजुराम
110. हरीसिंह दत्तक पुत्र लादुराम



(सुनील कुमार घीसाराम)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला शुन्सुनू (राज.)

111. झुथाराम पुत्र श्योनारायण
112. जयसिंह पुत्र फुलचन्द
113. मोहन पुत्र फुलचन्द
114. गिन्दो पत्नी भाताराम
115. शीशराम पुत्र भाताराम
116. औमप्रकाश पुत्र भाताराम
117. सुबेसिंह पुत्र भाताराम
118. बनारसी पत्नी जैकाराम
119. रामसिंह पुत्र जैकाराम
120. कृष्ण पुत्र जैकाराम
121. जवाहरलाल पुत्र मालाराम
122. मेहरचन्द पुत्र मालाराम
123. रघुवीर पुत्र शंकरलाल
124. मुकेश पुत्र शंकरलाल
125. शारली पत्नी शंकरलाल
126. रामगिरी पत्नी प्रभुदयाल
127. विजयपाल पुत्र प्रभुदयाल
128. सुनील कुमार पुत्र प्रभुदयाल
129. विक्रम पुत्र श्रीराम
130. लीलाधर पुत्र श्रीराम
131. छोटेलाल पुत्र श्रीराम
132. बलबीर पुत्र श्रीराम
133. बनारसी पत्नी श्रीराम
134. भोलाराम पुत्र जग्गुराम
135. लिछमादेवी पत्नी बुजाराम
136. महिपाल पुत्र कुरड़ाराम
137. फुलादेवी पत्नी कुरड़ाराम
138. लालचन्द पुत्र घीसाराम
139. औमप्रकाश पुत्र घीसाराम
140. राजेश कुमार पुत्र घीसाराम
141. गिन्दोदेवी पत्नी घीसाराम
142. करणसिंह पुत्र श्योचन्द
143. नत्थूराम पुत्र बजरंगलाल
144. राजेन्द्र पुत्र बजरंगलाल
145. मदन पुत्र बजरंगलाल
146. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, जिला झुंझुनू

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

दिनांक :- 24.11.22

(सुनील कुमार सौहान)
उपरखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. वाके ग्राम कलगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 35 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 36 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 37 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 42 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 43 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 48 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 49 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 50 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 53 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 54 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 55 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 56 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 57 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 58 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 59 रकबा 0.37 है., कुल किता 21 कुल रकबा 8.15 है. वादीगण व प्रतिगण सं. 1 लगायत 145 दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण का 1/3 अर्थात दर हिस्सा 1 आना है। वादीगण अपनी उक्त भूमि पर अपने पिताजी के जीवनकाल से ही बाहमी बंटवारे के हिसाब से काबिज काशत है तथा अपने हिस्से की भूमि की उन्नती करना चाहते हैं। तो खाता विभाजन करवाके अलग से लगान कायम करवाने के अधिकारी है।
3. यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवरने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि आप ही खाता विभाजन करवालो हम तो न्यायालय में नहीं जायेगे।
4. यह कि वादवर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में रहने से वादी को लगान अदा करने, ऋण लेने मे व कृषि सुधार करने में भारी परेशानी होती है अतः वादी ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करने का निश्चय किया है।
5. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम कलगांव में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में आती है इसलिए दावे की सुनवाई बाबत श्रीमान को क्षेत्राधिकार है।

वादी ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क) वाके ग्राम कलगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 35 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 36 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 37 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 42 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 43 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 48 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 49 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 50 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 53 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 54 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 55 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 56 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 57 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 58 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 59 रकबा 0.37 है., कुल किता 21



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहानन
जिला शुभनू (राज.)

कुल रकबा 8.15 है. भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 अर्थात दर हिस्सा 1 आना का अलग से खाता कायम किया जावे।

- (ख) वाद वर्णित भूमि में के राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं. 2 का नाम शुभराम के स्थान पर विरेन्द्र सिंह दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।
- (2). दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। सभी प्रतिवादीगण के सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 28 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 33 से 38 की ओर से श्री अनुप सिंह यादव ने युटी पेश की। प्रतिवादी सं. 38 की ओर से श्री अनुप सिंह यादव ने इकबालिया जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
- (3). वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी हाल, नकल नक्शा किशतवार, फोटो प्रति राशन कार्ड विरेन्द्र सिंह, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र विरेन्द्र सिंह, फोटो प्रति आधार कार्ड विरेन्द्र सिंह, फोटो प्रति अंकतालिका विरेन्द्र सिंह पेश किए गए।
- (4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 22.08.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 06-10-2022 को प्राप्त हुई। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।
- (5). बहस सुनी गई।
- (6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण व प्रतिदावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय दावा व प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम कलगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 35 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 36 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 37 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 42 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 43 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 48 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 49 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 50 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 53 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 54 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 55 रकबा 0.18

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



है., खसरा नम्बर 56 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 57 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 58 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 59 रकबा 0.37 है., कुल किता 21 कुल रकबा 8.15 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कमिश्नर बुहाना

जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24/11/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कमिश्नर बुहाना

जिला झुन्झुनू (राज.)



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-140/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2015/00150

बलबीर सिंह बनाम जगमाल आदि

दावा बाबत खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

वादीगण की ओर से श्री जगदेश सिंह यादव एडवोकेट की व प्रतिवादी सं. 28 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट की उपस्थिति, प्रतिवादी सं. 38 की ओर से श्री अनुपसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.11.22 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय दावा व प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम कलगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 35 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 36 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 37 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 42 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 43 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 47 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 48 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 49 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 50 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 51 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 है., खसरा नम्बर 53 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 54 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 55 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 56 रकबा 0.45 है., खसरा नम्बर 57 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 58 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 59 रकबा 0.37 है., कुल कित्ता 21 कुल रकबा 8.15 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार चौहान)
(सुनील कुमार चौहान) एवं
पदेन सहायक कमिश्नर बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)